न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 91/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00056**

1. लक्ष्मण पुत्र श्री ईशरराम जाति कुम्हार उम्र 77 वर्ष सा. राजियासर तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः महावीर प्रसाद शर्मा एवं मदन सुरोलिया — अभिभाषक अपीलांट
मो. इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 28.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अति. कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.05.1986 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम राजियासर के खसरा नंबर 201 की 9.634 हैक्टयर बारानी भूमि अपीलांट लक्ष्मण पुत्र ईशरराम को उप जिलाधीश(राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा वर्ष 1982 को आवंटित की गई। अति. कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 05.05.2024 द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को आवंटन करने की कार्यवाही करने के आदेश दियें। उक्त आदेश दिनांक 05.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हैं।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि आंवटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) हनुमानगढ़ सलाहकार समिति के राय से दिनांक 27.12.1982 को अपीलांट को गांव के अन्य लोगों को आंवटन के समय ही वादग्रस्त रकबा नियम राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1957 के अंतर्गत दस साल के लिए आवंटन किया गया था। अपीलांट के नाम से पूर्व में 50 बीघा भूमि आवंटन मानकर उक्त आवंटन खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट ने आवंटन नियम के किसी भी शर्तो का उल्लघंन नही किया है और ना ही अपीलांट ने किसी तथ्य को छिपाया हैं। अपीलांट ने पूर्व में बताया था कि उसे इस रोही के पुराने खसरा नं. 45 में 50 बीघा भूमि आवंटन है, परन्तु आवंटन का साक्ष्य के लिए कमेटी वाले दिन पट्टा की मांग की तो अपीलांट को कोई आवंटन नही था व खसरे को भी नए पैमुद हो गये थे। इस पर आवंटन अधिकारी खसरा नंबर 45 से पैमुद खसरा नंबर 102 में उक्त आवंटन कर दिया उसके अलावा अपीलांट को कही भी आवंटन नही है। अपीलांट के आवेदन पत्र में पटवारी रिपोर्ट में यह साबित है कि अपीलांट के धारण में कोई अन्य रकबा आवंटत नहीं था। अपीलांट ने किसी भी तथ्य को छिपाया नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पास अन्य रकबा मानकर जैर अपील आवंटन निरस्त कर दिया। जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.05.1986 निरस्त किया जावे एवं आवंटन पुनः बहाल किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में निम्नलिखित आर.आर.डी. का हवाला दिया हैं–

1. आर.आर.टी 2019(1) पेज नं. 124
2. आर.आर.टी 2021(2) पेज नं. 110
3. आर.आर.डी 2004 पेज नं. 261(3)
4. आर.आर.डी. 1998 पेज संख्या 319
5. आर.आर.डी 1997 पेज संख्या 511

3 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.1986 को शुरू से ही जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसेडिंग में अपीलांट हाजिर था। साथ ही अपीलांट को उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियमों के विपरित किया गया हैं। उक्त आवंटन में सक्षम आवंटन कमेटी की राय नहीं ली गई है। अपीलांट के पास पूर्व में आवंटित 50 बीघा भूमि होने से अपीलांट भूमिहीन नहीं था। अपीलांट को उक्त वादग्रस्त भूमि को आवंटन अवैध था। न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.1986 उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की बहस एवं न्यायिक दृष्टिांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि अति. कलक्टर(प्रशासन) के आदेश दिनांक 05.05.1986 की जानकारी अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 15.09.2019 को हुई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर(प्रशासन) की पत्रावली में अपीलांट के स्वंय का प्रार्थना–पत्र एवं अपीलांट की ओर से जरिये वकालतनामा अभिभाषक चन्दशेखर शर्मा उपस्थित थें। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र शपथ पत्र पर अंकित तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टिातों के अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यें उचित नहीं है। साथ ही अपीलांट वादग्रस्त भूमि आवंटन के समय भूमिहीन नही होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित था। अतः अपील अपीलांट्स इसी स्तर पर खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर